प्रेस नोट
***जनपद – संतकबीरनगर ***
दिनाँक 28.08.2026

ऑपरेशन मजनू: जनपद के समस्त थानों की पुलिस का मनचलों पर कड़ा प्रहार

स्कूल-कॉलेजों के आसपास मंडराने वालों, रास्तों में छेड़खानी करने वालों एवं कम उम्र में वाहन चलाने वाले लापरवाह युवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई

02 दिन में कुल 295 मनचलों से भरवाया गया माफीनामा

02 दिवसीय अभियान में 3046 वाहनों को किया गया चेक

968 वाहनो का किया गया चालान, 26 वाहनों को किया गया सीज

27 मजनुओं का 170/126/135 बीएनएसएस में किया गया चालान , 05 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 296 बीएनएस में दर्ज किया अभियोग

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे 02 दिवसीय आपरेशन मजनू अभियान के क्रम में छात्राओं, महिलाओं एवं आमजन को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में **"ऑपरेशन मजनू" के तहत व्यापक चेकिंग एवं कार्रवाई अभियान** चलाया गया।

अभियान के दौरान थाना क्षेत्र के विभिन्न स्कूल-कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों के आसपास, प्रमुख मार्गों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी की गई। पुलिस टीमों द्वारा अनावश्यक रूप से घूमने वाले युवकों, छात्राओं एवं महिलाओं को असहज करने वाली गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों तथा कम उम्र में वाहन चलाने वाले किशोरों की चेकिंग की गई । रास्तों में अशोभनीय हरकत, छेड़खानी अथवा किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई।

02 दिन में कुल 295 मनचलों से भरवाया गया माफीनामा

02 दिवसीय अभियान में 3046 वाहनों को किया गया चेक

968 वाहनो का किया गया चालान, 26 वाहनों को किया गया सीज

27 मजनुओं का 170/126/135 बीएनएसएस में किया गया चालान , 05 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 296 बीएनएस में दर्ज किया अभियोग

अभियान के दौरान **अनुचित रूप से घूमते पाए गए/अशोभनीय गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को जनपदीय पुलिस द्वारा कड़ी हिदायत एवं चेतावनी दी गई तथा भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति न करने के संबंध में उनसे माफीनामा भी कराया गया।**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्कूल-कॉलेजों के आसपास अनावश्यक रूप से घूमना, छात्राओं का पीछा करना, अशोभनीय टिप्पणी करना, रास्तों में छेड़खानी करना अथवा महिलाओं को असहज महसूस कराने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

□ कम उम्र में वाहन चलाने वालों को किया गया जागरूक

कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में अभिभावकों को भी जागरूक किया गया कि बच्चों को समय से पहले वाहन की चाबी देना उनके जीवन को जोखिम में डाल सकता है। एक छोटी सी लापरवाही सड़क हादसे का कारण बन सकती है और पूरे परिवार की खुशियां प्रभावित हो सकती हैं।

❤□ बेटियों की सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी

जनपद संतकबीरनगर पुलिस का यह अभियान केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सुरक्षित वातावरण एवं सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास है। हर बेटी को यह भरोसा होना चाहिए कि वह बिना डर के स्कूल जा सकती है, सड़क पर चल सकती है और अपने सपनों की ओर बढ़ सकती है।

पुलिस का संकल्प है कि **बेटियों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा** और सार्वजनिक स्थानों पर अशोभनीय गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों के क्रम अभियान को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा। आमजन से अपील है कि किसी भी मनचले अथवा संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 445 वाहनों से 609,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 28.08.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 445 वाहनों से 609,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।